

18/01/2023

अधिकांश वही उपस्थित रहने पर  
 विवेक से पूर्व से ग्राम विभाजन प्रस्ताव  
 के अन्तर्गत पारदर्शी के अन्तर्गत पर  
 लिए गए हैं अधिकांश वही ग्राम  
 विभाजन प्रस्ताव से सम्बन्धित हैं।  
 एवम् विभाजन प्रस्ताव बाह्य क्षेत्र  
 पर या बाह्य क्षेत्र में स्थित वहाँ  
 क्षेत्रों में विवेक से विवेक से पारदर्शी  
 सं. 757, 758, 759, 760, 761, 762  
 विभाजन के अन्तर्गत विवेक से  
 विवेक से हैं।

क्र. सं.	विभाजन प्रस्ताव	क्र. सं.	क्षेत्र	विभाग	क्षेत्र
1-	दिलीबाड़ी परकी श्रीलाल मिहिर सा. सं. देव श्यामपुर	757 761 सं. पश्चिम 200 762 सं. 342 सं.	0.13 0.53 0.19	241 सं. 241 सं. 241 सं.	3.25 2.22 0.975
	कीला	3	0.85		13.24

28  
 (गणपति हटीक)  
 महापंचक कमेटर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चित्तौड़गढ़

नम अ हुक के	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज				नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
क्र.सं.	नाम स्वतंत्र	अ.नं.	रकबा	विलय	माला
२	गीताबाई पत्नी जमनालाल २/१ माली बुलसीबाई पुत्नी श्री लाल ५/१ माली बाबूलाल पिला भेंजलाल १/३ शर्मा सा. देह कीता	758	०.१०	अच्छा	-
३	शमेश्वरलाल पुत्र भागीलाल कुम्हार सा. देह स्वतंत्र	762	०.०९	बीड	०.२२५
	कीता	1	०.०९		०.२२५
५	बाबूलाल ५५/१७ पिला भेंजलाल शर्मा सा. देह पत्नी गीताबाई पुत्नी जमनालाल ५२/१७ माली सा. देह स्वतंत्र	761	०.१३	चाही १	३.१७
	सा. देह पत्नी	760	०.३३	चाही २	६.७५
	जमनालाल ५२/१७ माली	759	०.५१	चाही २ जाव २	११.५०
	कीता	३	०.९७		२१.४७
<p>उपर्युक्तानुसार शरणा देकाई के अनुसार कामा विला जेके विमल प्रलय के लक्ष ५५ नम्बर देल डिडी का वार्ड रहेगा। डिडी जारी हो। पत्रपत्नी केजल शुभा होकर नम्बर से कम हो। निजी लिखा जाका पुत्राच गच्छ</p> <p style="text-align: center;">Eyo (रामचन्द्र खटीक) सहायक कनिष्ठ एवं उपसहण्ड अधिकारी</p>					

## मूल वाद मे डिक्री

A24

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ बईजलास  
श्री रामचन्द्र खटीक उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

1.श्रीमती तुलसीबाई पत्नी श्रीलाल लौहार नि.बडोदिया तह.व जिला चित्तौड़गढ़

—वादीया

बनाम

1.बाबुलाल पिता भेरूलाल शर्मा नि.बडोदिया

2.गीताबाई पत्नी जमनालाल माली नि.बडोदिया तह.व जिला चित्तौड़गढ़

3.रामेश्वरलाल पिता मांगीलाल कुम्हार नि.बडोदिया तह.व जिलम चित्तौड़गढ़

4.भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

—प्रतिवादीगण

प्र.स. 79/2021 (GCMS 2021/232)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीया की ओर से वकील प्रेमलता गोस्वामी की, और प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री — की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि हस्ब विभाजन प्रस्ताव वादीया का वाद पत्र ग्राम बडोदिया प.ह.बडोदिया तह.चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी सं. 757, 758, 759, 760, 761, 762, निम्नानुसार विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता है :-

क्र.स	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	तुलसीबाई पत्नी श्रीलाल लौहार सा.देह खातेदार	757 761 मे से पश्चिमी भाग 762 मे से उत्तरी भाग	0.13 0.53 0.19	चाही 2 चाही 2 चाही 2	3.25 2.22 0.475
	कीता	3	0.85		13.94
2.	गीताबाई पत्नी जमनालाल 2/9 माली तुलसीबाई पत्नी श्रीलाल 4/9 लौहार बाबूलाल पिता भेरूलाल 1/3 शर्मा सा. देह	758	0.10	आ.चा.	—
	कीता	1	0.10		
3.	रामेश्वरलाल पुत्र मांगीलाल कुम्हार सा.देह खातेदार	762	0.09	बीड	0.225
	कीता	1	0.09		0.225



(रामचन्द्र खटीक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़


125

बाबूलाल 55/97 पिता	761	0.13	चाही 2	3.97
भेरूलाल शर्मा सा. देह	760	0.33	चाही 2	6.75
गीता बाई पत्नी जमनालाल	759	0.51	चाही 2	11.50
42/97 माली सा. देह खातेदार			जाव 2	
कीता	3	0.97		22.22

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा।

इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



  
(रामचन्द्र खटीक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

22

ग्रामशाही इलाका, कोटिया  
तह. - चित्तौड़गढ़



सुनील  
 18/1/22  
 शंकर लाल बैरवा  
 पटवारी  
 पटवार हल्का...  
 तह. व जिला - चित्तौड़गढ़